न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :- श्री भागीरथ राम,आर.ए.एस.

मुकदमा राजस्व वाद संख्या 142/2009

वादी — बनाम — प्रतिवादी

1 हीरालाल पुत्र धींगड़मल
2 गौतमचन्द पुत्र धींगड़मल
3 महेन्द्र कुमार पुत्र धींगड़मल
4 तनसुख पुत्र पुखराज
5 पवन कुमार पुत्र पुखराज
जातियान ओसवाल
निवासीयान बालोतरा

1. हिम्मतसिंह पुत्र खंगारसिंह राजपूत
निवासी जसोल तहसील पचपदरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा तहत धारा 188 R.T.Act

निर्णय

उपस्थित : 1. श्री लाधूराम चौधरी वादी वकील
2. देवीसिंह महेचा प्रतिवादी वकील

दिनांक : 27.12.2017

वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा सुद खेत खसरा नम्बर 745 रकबा 4 बीघा एवं खसरा नम्बर 746 रकबा 2 बीघा 16 विस्वा कुल रकबा 6 बीघा 16 विस्वा सरहद मौजा मांजीवाला में स्थित है जिसमें प्रतिवादी का कोई हक हिस्सा नहीं है मौके पर प्रतिवादी का वादीगण की भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा एवं न ही प्रतिवादी की वादीगण के पड़ौस में कोई भूमि स्थित है प्रतिवादी अवैध तौर पर वादीगण के उक्त खातेदारी एवं कब्जसुद खेत में अतिक्रमण करने एवं उनके द्वारा करवाई गई नेखमबंदी एवं पत्थगढी को हटाने एवं जबरदस्ती काश्त करने से रोकने हेतु उसके विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का दावा लाना आवश्यक होने से स्थायी निषेधाज्ञा का दावा श्री न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रतिवादी वादीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा सुद खेत खसरा नम्बर 745 रकबा 4 बीघा एवं खसरा नम्बर 746 रकबा 2 बीघा 16 विस्वा कुल 6 बीघा 16 विस्वा सरहद मौजा मांजीवाला में स्वयं व उनके प्रतिनिधी से किसी प्रकार से अतिक्रमण कर काश्त नहीं करे एवं वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार से वादीगण को बेदखली की कार्यवाही नहीं करे एवं वादीगण की उक्त भूमि में कब्जा काश्त नहीं करे।

प्रतिवादी ने दिनांक 09.06.2011 को जबाब पेश कर वाद पत्र को अस्वीकार किया व प्रतिवादी के विरुद्ध किसी प्रकार की रिलीफ प्राप्त करने के वादीगण अधिकारी नहीं है न ही वादीगण के संयुक्त खातेदारी खेत में प्रतिवादी द्वारा कभी दखल पैदा नही की एवं न ही कभी कब्जा काश्त किया है जिससे दावा वादीगण का काबिल खारिज के है।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

बादी ने वाद पत्र के समर्थन में स्वयं को पेश किया व आदेश 18 नियम सी. पी.सी. के तहत शपथ पत्र पेश किया। व नक्शा EX-1 व जमाबन्दी संवत 2064 से 2067 EX-2 पेश की व गवाह मदनलाल को पेश किया जिसने वाद के तथ्यों का समर्थन किया।

प्रतिवादी ने साक्ष्य हेतु प्रयाप्त अवसर देने पर भी साक्ष्य पेश नही की दोनो पक्षो की बहस सुनी गई तथा वाद पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा पाने के हकदार होना पाया जाता है।

अतः प्रतिवादी वादीगण की संयुक्त खातेदारी मौजा मांजीवाला के खेत खसरा नम्बर 745 रकबा 4 बीघा एवं खसरा नम्बर 746 रकबा 2 बीघा 16 विस्वा कुल 6 बीघा 16 विस्वा भूमि में स्वयं व उनके प्रतिनिधी से किसी प्रकार से अतिक्रमण कर काश्त नही करे न ही वादीगण को बेदखल की कार्यवाही करे। वाद व्यय दोनो पक्षकार अपना अपना वहन करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

(भागीरथ राम)
सहायक कलक्टर,
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 27.12.2017 को लिखाया जाकर,खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर,
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

डिगरी व मुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20,रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code,Appendix 'D'1)

अज अदालत– श्री सहायक कलक्टर **SDO** मुकाम बालोतरा
पीठासीन अधिकारी :– श्री भागीरथ राम,आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1 हीरालाल पुत्र धींगड़मल 2 गौतमचन्द पुत्र धींगड़मल 3 महेन्द्र कुमार पुत्र धींगड़मल 4 तनसुख पुत्र पुखराज 5 पवन कुमार पुत्र पुखराज जातियान ओसवाल निवासीयान बालोतरा		1. हिम्मतसिंह पुत्र खंगारसिंह राजपूत निवासी जसोल तहसील पचपदरा

<u>दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा तहत धारा 188 R.T.Act</u>

मुकदमा नंबर 142 / 2009

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी पक्षकारान मिनजानिब मुद्दई लाधूराम चौधरी व मिनजानिब पक्षकारान मुदायलाह देवीसिंह महेचा पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि प्रतिवादी वादीगण की संयुक्त खातेदारी मौजा मांजीवाला के खेत खसरा नम्बर 745 रकबा 4 बीघा एवं खसरा नम्बर 746 रकबा 2 बीघा 16 विस्वा कुल 6 बीघा 16 विस्वा भूमि में स्वयं व उनके प्रतिनिधी से किसी प्रकार से अतिक्रमण कर काश्त नही करे न ही वादीगण को बैदखल की कार्यवाही करे। वाद व्यय दोनो पक्षकार अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27.12.2017 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर,
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner